समक्ष जे.वि गुप्ता , माननीय न्यायमूर्ति

नॉर्दर्न कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, – *याचिकाकर्ता*

बनाम

यूनाइटेड इंडिया अशुरन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

– प्रतिवादी

1982 की ऑर्डर नंबर 408 की प्रथम अपील

08 मार्च 1984

सिविल प्रक्रिया संहिता (*1908* का *5)* - आदेश *9* नियम *13* - प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त एक पक्षीय धन डिक्री - न्यायालय को दिया गया एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन - न्यायालय इस शर्त पर डिक्री को रद्द करने के लिए सहमत है कि डिक्रीटल राशि जमा की जाएगी -ऐसी शर्त मिसाल-चाहे प्रकृति में कठिन हो-उपरोक्त आवेदन-क्या खारिज किया जा सकता है।

अभिनिर्णित, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के प्रावधानों के मद्देनजर एक पक्षीय डिक्री

को लागत, न्यायालय में भुगतान या ऐसी अन्य शर्तों पर, जिन्हें न्यायालय उचित समझे, रद्द किया जा सकता है। शर्तों में से एक यह हो सकती है कि डिक्रीटल राशि को न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए ताकि उक्त डिक्री को रद्द करने के बाद मुकदमे की डिक्री होने पर डिक्रीटल राशि उपलब्ध हो सके। चूंकि फैसले से पहले कुर्की हो सकती है, उसी तरह, अपीलकर्ता को एकपक्षीय धन डिक्री को रद्द करने से पहले अदालत में केवल राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, इसे आदेश 9 नियम 13 के अर्थ में बहुत कठिन शर्त नहीं कहा जा सकता है। जहां आवेदक डिक्री की राशि न्यायालय में जमा करने से इंकार करता है, वहां एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने का आवेदन खारिज किया जा सकता है।

*(*पैरा *3 & 4)*

श्री के.एस. भुल्लर, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की अदालत के दिनांक 14 जून, 1982 के आदेश से प्रथम अपील, जिसमें अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता की ओर से वकील लक्ष्मी ग्रोवर।

प्रतिवादियों की ओर से वकील एल.एम. सूरी।

निर्णय

जे.वी गुप्ता, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) यह अपील अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के 14 जून, 1982 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत प्रतिवादी अपीलकर्ता की ओर से दायर एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) वादी, मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य ने, प्रतिवादी-अपीलकर्ता, मेसर्स नॉर्दर्न कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर के खिलाफ 37,297 रुपये/19 पैसे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। सेवा के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार, एक पक्षीय साक्ष्य दर्ज करने के बाद, अंततः 13 जनवरी, 1981 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन 4 फरवरी, 1981 को दायर किया गया था, जिसका वादी प्रतिवादी ने विरोध किया था। अंततः ट्रायल कोर्ट ने पाया कि कोई कारण नहीं बताया गया था कि प्रतिवादी या उसके वकील की उपस्थिति 27 अक्टूबर, 1980 को क्यों नहीं हुई और इसलिए, प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण साबित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर

दिया गया। उसी से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में यह अपील दायर की है।

(3) चूंकि यह एक मनी1 डिक्री थी जो वर्ष 1981 में पारित की गई थी और आदेश 9 नियम 13* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में क्यूओई) की संहिता के अनुसार, एक पक्षीय डिक्री को लागत, अदालत में भुगतान या अन्यथा जैसा वह उचित समझे, ऐसी शर्तों पर रद्द किया जा सकता है, प्रतिवादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील से 14 फरवरी को पूछा गया था 1984, कि क्या उनका मुवक्किल डिक्रीटल राशि जमा करने के लिए तैयार था ताकि उस शर्त पर एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाए और मामले को 1 मार्च, 1984 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 1 मार्च, 1984 को अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने और अधिक की मांग की। निर्देश प्राप्त करने का समय दिया गया और मामले को 8 मार्च, 1984 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बार में कहा कि उनका मुवक्किल एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की शर्त के रूप में डिक्रीटल राशि जमा करने के लिए तैयार नहीं था।

(4) जैसा कि पहले देखा गया है, संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को किसी भी शर्त पर रद्द किया जा सकता है। शर्तों में से एक यह हो सकती है कि डिक्रीटल राशि न्यायालय में जमा की जानी चाहिए ताकि एकपक्षीय तरीके से खारिज होने के बाद मुकदमे की डिक्री होने पर डिक्रीटल राशि उपलब्ध हो सके। चूंकि फैसले से पहले कुर्की हो सकती है, उसी तरह, एकपक्षीय धन डिक्री को रद्द करने

से पहले अपीलकर्ता को केवल अदालत में राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, इसे आदेश 9 नियम 13 के अर्थ में बहुत कठिन शर्त नहीं कहा जा सकता है। कोड. यह कहा गया है कि अपीलकर्ता पूर्व शर्त के रूप में राशि जमा करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए, एकपक्षीय धन डिक्री को रद्द करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसे उस शर्त पर अलग रखा जाता है, तो भी यह काम करेगा इसका कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता शर्त पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा